

कार्यालय, जनपद न्यायाधीश, अयोध्या।
प्रकीर्ण आदेश संख्या- 299 सन् 2026 ई०

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या 2233/एसएलएसए-188/26 दिनांकित 16.07.2026 के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीनस्थ प्रदेश के 09 जनपदों में स्थापित स्थायी लोक अदालतों में रिक्त अध्यक्षों के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रेषित किया गया था, जिसके व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु इस न्यायालय द्वारा प्रकीर्ण आदेश संख्या-296 सन् 2026 दिनांक 17.07.2026 पारित किया गया था।

तत्पश्चात उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या 2324/एसएलएसए-188/26 दिनांकित 18.07.2026 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि पूर्व प्रेषित विज्ञापन में जिला गौतमबुद्ध नगर का नाम त्रुटिवश सम्मिलित हो गया था। उक्त त्रुटि का संशोधन करते हुए संशोधित विज्ञापन प्रेषित किया गया है तथा संशोधित विज्ञापन को स्थानीय समाचारपत्र एवं जिला न्यायालय व बार एसोसिएशन के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः प्रकीर्ण आदेश संख्या-296 सन् 2026 दिनांक 17.07.2026 को उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है एवं उपरोक्त पत्र के अनुपालन हेतु निम्न को पुनः निर्देशित किया जाता है-

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अयोध्या संशोधित विज्ञापन का स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशन कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, अयोध्या संशोधित विज्ञापन को जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

अध्यक्ष/महामंत्री, फैजाबाद बार एसोसिएशन, अयोध्या से अपेक्षा की जाती है कि वे संशोधित विज्ञापन को अधिवक्तागण के मध्य परिचालित कर इच्छुक एवं पात्र अधिवक्ताओं को आवेदन हेतु जागरूक करें।

इस आदेश एवं संशोधित विज्ञापन की प्रति जनपद न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाए।

दिनांक-20.07.2026
संलग्नक- यथोक्त

(रणंजय कुमार वर्मा)
जनपद न्यायाधीश,
अयोध्या।

संख्या- 4421 /अयोध्या/दिनांक:- जुलाई 20, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

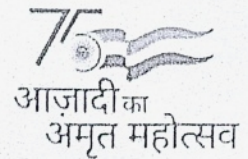
1. नोडल अधिकारी कम्प्यूटर्स, अयोध्या।
2. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अयोध्या।
3. समस्त ग्राम न्यायालय, रुदौली, बीकापुर एवं मिल्कीपुर के पीठासीन अधिकारी अपने स्तर से सम्बन्धित बार को सूचित करें।
4. अध्यक्ष/महामंत्री, फैजाबाद बार एसोसिएशन, अयोध्या।
5. नोटिस बोर्ड।
6. सम्बन्धित पत्रावली।

आदेशानुसार,

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
जनपद न्यायालय,
अयोध्या।

2017.T.M.P. मसुदा
कर

Nodal Officer, Computer.
21/7/2026



उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

Dr. (Smt.) Manu Kalia

U.P. State Legal Services Authority

H.J.S.

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अन्तर्गत गठित)

Member Secretary

To

All the District Judges/Chairpersons
District Legal Services Authorities
Uttar Pradesh.

No.: 2324 /SLSA 188 /2026

Dated: July/07, 2026

**Sub.: Request for Publish the Amended Advertisement for the Post of
Chairperson, Permanent Lok Adalat.**

Sir,

Kindly refer to this Authority's Letter No. 2234/SLSA-188/2026 dated 16.07.2026 on the captioned subject, whereby this Authority requested your goodself to advertise the advertisement for the post of **Chairperson, Permanent Lok Adalat (PLA)** in 09 districts of Uttar Pradesh in Newspapers and display it on Notice board of District Court as well as on notice board of Bar Association in your district.

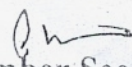
In this regard, this is to inform your goodself that, due to an inadvertent miscommunication from the concerned district, the name of district **Gautam Budh Nagar** was mistakenly included in the advertisement.

You are, therefore, requested to kindly advertise the amended advertisement in local Newspapers and display it on Notice board of District Court as well as on notice board of Bar Association of your district in place of the earlier advertisement.

Regards,

Yours faithfully,

Encl.: as above


for Member Secretary

UTTAR PRADESH STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
4/7, GOMTI NAGAR EXTENSION, LUCKNOW

Website: uttarpradesh.nalsa.gov.in

E-mail: upslsa@nic.in

Date of Advertisement: 23-07-2026

Last Date of submission of application: 24-08-2026 up to 05:00 P.M.

ADVERTISEMENT

The U.P. State Legal Services Authority invites application from eligible Indian Nationals for selection/appointment on the post of Chairpersons, Permanent Lok Adalats (PLAs) established under section 22 B, Legal Services Authorities Act, 1987 in the following districts:-

1	Azamgarh
2	Balrampur
3	Mahoba
4	Sant Kabir Nagar
5	Pilibhit
6	Aligarh
7	Etah
8	Mathura

For more details, kindly visit the Website of U.P. State Legal Services Authority.


Member Secretary
UPSLSA

Kindly treat the advertisement previously issued by this Authority as withdrawn, as the district Gautam Budh Nagar was inadvertently included therein due to a an inadvertent miscommunication from the concerned district.